

/152922/2022

संख्या PCH/30/2021-Auditcell-GoHP-e office Margdarshan. 39/0-7639
हिमाचल प्रदेश सरकार
पंचायती राज विभाग हि.प्र.।

सेवा में,

- 1.समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, हिमाचल प्रदेश।
- 2.समस्त सचिव, जिला परिषद एवं जिला पंचायत अधिकारी, हिमाचल प्रदेश।
- 3.समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं खण्ड विकास अधिकारी व अध्यक्ष पंचायत समिति, हिमाचल प्रदेश।
4. समस्त प्रधान/ पंचायत सचिव, ग्राम पंचायत, हिमाचल प्रदेश।
शिमला-9

विषय:-
महोदय,

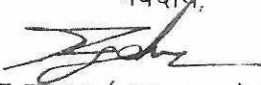
दिनांक 20th अगस्त, 2022
Regarding Monthly Rent of Buildings/Assets of Panchayati Raj Institutions.

उपरोक्त विषयक Special Secretary to the Chief Minister, Himachal Pradesh Government, Shimla-2 के अर्ध शासकीय पत्र संख्या 416102 दिनांक 14.07.2022 के संदर्भ में सूचित किया जाता है कि प्रदेश में कई पंचायती राज संस्थाओं द्वारा अपनी परिसम्पत्तियों का निर्माण किया गया है, जिसमें व्यवसायिक परिसर व भवन इत्यादि हैं। उक्त परिसम्पत्तियों को किराए पर देने के संदर्भ में कई पंचायती राज संस्थाओं द्वारा नियमों का पालन नहीं किया जाता है। जिस कारण सम्बन्धित संस्था को आर्थिक नुकसान झेलना पड़ता है। इस सम्बन्ध में स्पष्ट किया जाता है कि विभाग द्वारा तीनों स्तरों की पंचायती राज संस्थाओं को व्यवसायिक भवनों को किराए पर देने तथा इसके लिए कमेटियों के गठन के सम्बन्ध में पूर्व में निर्देश जारी किए गए हैं (संलग्न)। लेकिन इसके बावजूद कई संस्थाओं द्वारा सम्बन्धित कर्मचारियों तथा प्रतिनिधियों की लापरवाही या मिलीभगत से नियमों का पालन नहीं किया जाता है।

अतः आप पंचायती राज संस्थाओं के व्यवसायिक परिसरों व भवनों को किराए पर देने के सम्बन्ध में पूर्व में जारी दिशानिर्देशों का पूर्णतया पालन करें तथा यदि पूर्व में किसी मामले में नियमानुसार कार्रवाई नहीं हुई है तो उस तरह के मामले में व्यवसायिक परिसरों/भवनों को किराए पर देने के लिए पूरी प्रक्रिया अपनाकर पुनः आबंटन किया जाए तथा किराया वसूली व किराया बढ़ाने के सम्बन्ध में भी नियमानुसार उचित कार्रवाई अमल में लाई जाए।

संलग्न:- यथावत

भवदीय,


ऋग्वेद ठाकुर (भा0 प्र0 से0)

निदेशक एवं विशेष सचिव,
पंचायती राज विभाग, हि0प्र0।
दिनांक 26th अगस्त, 2022

पृष्ठांकन संख्या- PCH/30/2021-Auditcell-GoHP - 7640
प्रतिलिपि:- 7640 शिमला-9

1. The Special Secretary to the Chief Minister, Himachal Pradesh Government, Shimla-2 को उपरोक्त के संदर्भ में सूचनार्थ।


निदेशक एवं विशेष सचिव,
पंचायती राज विभाग, हि0प्र0।

हिमाचल प्रदेश सरकार,
पंचायती राज विभाग।

दिनांक शितम्बर 2008

कार्यालय आदेश

पंचायती राज विभाग-एचसी(7)10/80

ग्राम पंचायतों के व्यवसायिक परिसरों/भवनों को किराये पर देने के लिए निम्न

प्रकार की किराये की शर्तों को प्रकट की जा रही है ताकि भविष्य में किराये की प्रकृति की वैधानिक कठिनाई न हो।

1. उपमण्डलाधिकारी/तहसीलदार (अध्यक्ष)
2. खण्ड विकास अधिकारी (सदस्य)
3. प्रधान सम्बन्धित ग्राम पंचायत (सदस्य)
4. पंचायत निरीक्षक सदस्य
5. पंचायत सचिव/पंचायत सहायक सदस्य सचिव

इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायत सम्बन्धित किरायेदार के साथ अनुबन्ध करेगी जिसमें ग्राम

पंचायत निम्न शर्तों भी निर्धारित करेगी:-

1. सम्बन्धित व्यवसायिक परिसरों/भवनों का किराया लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित
2. दरों से कम न हो।
3. किराये में वृद्धि का प्रावधान किराया नियन्त्रण अधिनियम के अनुरूप रखा जाए।
4. यदि कोई किरायेदार किराया नहीं देता अथवा परिसर को नुकसान पहुंचाता है तो परिसर
5. किरायेदार को परिसर को किराये अन्य को आगे किसी और व्यक्ति को किराये पर देने
6. किरायेदार को परिसर को किराये अन्य को आगे किसी और व्यक्ति को किराये पर देने
7. किरायेदार को परिसर में किसी प्रकार निर्माण/परिवर्तन/अतिक्रमण नहीं करेगा।

अधिकार न हो और न ही उसे उसके उपयोग को परिवर्तित करेगा।
सम्बन्धित व्यवसायिक परिसरों/भवनों को किराये पर देने से पूर्व पंचायत क्षेत्र में व्यापक
प्रतिष्ठित तथा व्यवसायिक परिसरों/भवनों को किराये पर खुली बोली से दिया जायेगा।
व्यवसायिक परिसरों/भवनों के पानी/बिजली के बिलों की अदायगी किरायेदार द्वारा
की जायेगी।

आदेश द्वारा

निदेशक एवं विशेष सचिव,
पंचायती राज विभाग,
हिमाचल प्रदेश शिमला-9

30301-30436

17-9-2008

दिनांक

प्रमुख उपरोक्त
कोलिभि:-

1. सगरस्त उपमण्डलाधिकारी हिमाचल प्रदेश को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. सगरस्त जिला पंचायत अधिकारी हिमाचल प्रदेश को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3. सगरस्त खण्ड विकास अधिकारी हिमाचल प्रदेश को इस आशय सहित कि इस आदेश की
4. प्रधान ग्राम पंचायत रण्टाड़ी (सीमा) विकास खण्ड रोहड़ू जिला शिमला हि099 को उन

प्रमाण संख्या 2 दिनांक 23.7.08 के संदर्भ में आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप-निदेशक,
पंचायती राज विभाग,
हिमाचल प्रदेश शिमला-9

Government of Himachal Pradesh
Panchayati Raj Department

No. PCH-HC(7)1/2008

Shimla-9

Dated / 4 March, 2018

Office Order

In order to provide the Commercial Complex, Building and property on rent/lease basis in respect of the Panchayat Samiti and regulating the terms and conditions to this effect, a committee consisting the following members under the Chairmanship of Sub-Divisional Officer (Civil) is hereby constituted:-

1. Chairman Panchayat Samiti (Member)
2. Chief Executive Officer Panchayat Samiti (Member)
3. Panchayat Inspector/Sub-Inspector (Member Secretary)
(In case no Panchayat Inspector/Sub-Inspector is there then Chief Executive Officer may appoint any member of his staff as Member Secretary of the Committee.)
4. The Committee may with the approval of Chairperson co-opt any member as per requirement.

The terms and conditions to rent/lease out the Commercial complex, building and property of Panchayat Samiti shall be as under.

1. The minimum rate of the property so to be rented/leased out should not be less than the prescribed rate of the H.P. Public works Department or market rates whichever is higher.
2. The enhancement in the rate shall be as per the rent controller Act.
3. In case the person to whom the property has been rented/leased out cause any damage to the property, the property rented/leased out to him shall be got vacated within 30 days and the recovery of the damage will also be effected.
4. The tenant /lessee shall have no right to divert the use of property and he shall have no right to sublet the property premises.

5. The property should be rented/leased out by way of auction/bid by making wide publicity.
6. The payment of the electricity /water bills will be made by the person to whom property has been rented/leased out.
7. The rent shall be paid on or before 10th of every month failing which the premises shall be vacated.
8. The rented property shall be vacated on the notice of 15 days as and when such property is required by the Department as well as Panchayat Samiti for its use.
9. Two months' rent shall be deposited in advance as security (Refundable/Adjustable) at the time of handing over the premises to the Panchayat Samiti.
10. The organization /person to whom the property is rented, shall ensure the cleanliness of the premises.

-By Order-

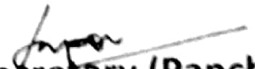
Secretary (Panchayat)
Himachal Pradesh Government.

End. No. 11500 - 11668

Dated 14 March, 2018

Copy for: Information and necessary action.

1. All Sub-Divisional Officers Himachal Pradesh.
2. All Chairpersons of Panchayat Samitis of Himachal Pradesh.
3. All Chief Executive Officers Panchayat Samiti Himachal Pradesh.
4. All District Panchayat Officers Himachal Pradesh.


Deputy Secretary (Panchayat)
Himachal Pradesh Government.

हिमाचल प्रदेश सरकार,
पंचायती राज विभाग।

संख्या:पीसीएच-एचसी(7)1 / 2008

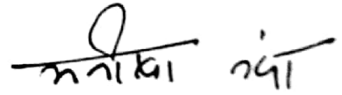
दिनांक

13 मार्च, 2015

कार्यालय आदेश

जिला परिषद के व्यवसायिक परिसरों/भवनों/परिसम्पत्तियों तथा जिला स्तरीय पंचायत भवनों को निलामी से किराये पर देने के लिए सम्बन्धित जिलाधीश की अध्यक्षता में निम्न अधिकारियों की कमेटी गठित की जाती है:-

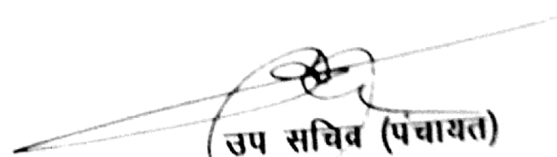
1. अधिशाषी अभियन्ता लोक निर्माण/ग्रामीण विकास, (जिला मुख्यालय) सदस्य
2. स्थानीय उपमण्डलाधिकारी (नागरिक) सदस्य
3. जिला पंचायत अधिकारी सदस्य सचिव



प्रधान सचिव (पंचायत)
हिमाचल प्रदेश सरकार
13 मार्च, 2015

पृ0सं0-उपरोक्त-40856-938 दिनांक
प्रतिलिपि:-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. समस्त, अध्यक्ष जिला परिषद हिमाचल प्रदेश।
2. समस्त, जिलाधीश हिमाचल प्रदेश।
3. समस्त उपमण्डलाधिकारी (नागरिक) हिमाचल प्रदेश।
4. समस्त जिला पंचायत अधिकारी हिमाचल प्रदेश।
5. अधिशाषी अभियन्ता लोक निर्माण/ग्रामीण विकास, (जिला मुख्यालय) हिमाचल प्रदेश।


उप सचिव (पंचायत)
हिमाचल प्रदेश सरकार